

# जहाजों को सुरक्षित निकालने की तैयारी

## 20,000 भारतीय नाविकों की सुरक्षा एक बड़ी चिंता बनी



### हमने मार गिराया कासिम नईम का भतीजा : इजरायल

बेरुत. अमेरिका और ईरान के बीच 14 दिन के सीजफायर पर सहमति भले बन चुकी हो, लेकिन मिडिल ईस्ट में तनाव अभी भी बरकरार है। इसी बीच इजरायल ने हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम के भतीजे अली युसुफ हारशी को मार गिराने का बड़ा दावा किया है। हालांकि इस दावे की अभी तक हिजबुल्लाह की ओर से पुष्टि नहीं हुई है।

नई दिल्ली, 09 अप्रैल. पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होम्लुज स्टेट में बाधित जहाजरानी के बीच भारत ने एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाने की तैयारी कर ली है। खाड़ी क्षेत्र में फंसे तेल, एलपीजी और एलएनजी से लदे जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए सरकार ने व्यापक योजना तैयार की है। पेट्रोलेियम और शिपिंग मंत्रालय के संयुक्त ने बताया करीब 18 जहाजों को प्राथमिकता सूची में रखा गया है, इन जहाजों पर बड़ी संख्या में भारतीय चालक दल कार्यरत हैं। इस बीच फारस

की खाड़ी क्षेत्र में लगभग 20,000 भारतीय नाविकों की सुरक्षा भी एक बड़ी चिंता बनी हुई है।

इस बीच भारत ने खाड़ी क्षेत्र में फंसे अपने जहाजों और नाविकों को सुरक्षित निकालने के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार की है। सरकारी आकलन के अनुसार, कुल 18 जहाजों को प्राथमिकता के आधार पर निकासी सूची में शामिल किया गया है। इन जहाजों में कच्चे तेल, एलपीजी और एलएनजी जैसे महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन लदे हुए हैं।

### हरदीप सिंह पुरी कतर दौरे पर रहेंगे आज



नई दिल्ली. पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर सक्रिय हो गया है। केंद्रीय पेट्रोलेियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी 9 से 10 अप्रैल के बीच कतर का दौरा करेंगे।

## केजरीवाल ने बाबा जुझारसिंह की जयंती पर दी बधाई

### गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे को किया नमन

नई दिल्ली, 09 अप्रैल. अरविंद केजरीवाल ने दसवें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के दूसरे साहिबजादे बाबा जुझार सिंह जी की जयंती पर देशवासियों को हार्दिक बधाई दी है।



उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए बाबा जुझार सिंह जी के साहस, बलिदान और

राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण को नमन किया। केजरीवाल ने कहा कि साहिबजादों का जीवन हमें धर्म, वीरता और त्याग की प्रेरणा देता है। दसवें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के दूसरे साहिबजादे बाबा जुझार सिंह जी की जयंती पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। उनका साहस, त्याग और बलिदान हम सभी के लिए प्रेरणा है।

## नवकार मंत्र का जाप सार्थक व प्रासंगिक : शाह

नई दिल्ली 09 अप्रैल. केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह नवकार को यहां विश्व नवकार महामंत्र दिवस पर आयोजित समारोह में शामिल हुए और कहा कि दुनिया के अनेक हिस्सों में संघर्ष की स्थिति के बीच समस्त विश्व के कल्याण के लिए नवकार मंत्र का सामूहिक जाप सार्थक और प्रासंगिक है।

गृह मंत्रालय ने एक वक्तव्य जारी कर कहा कि श्री शाह ने मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन में कहा - जब विश्व के विभिन्न हिस्सों में अपने विचारों को स्थापित करने के लिए संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। ऐसे समय में यहां से समस्त विश्व के कल्याण हेतु नवकार मंत्र का सामूहिक जाप किया जाना अत्यंत सार्थक और प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि भारत विविध संप्रदायों और धर्मों का देश है, जहां प्रत्येक धर्म में मंत्रों की विशेष महत्ता और आध्यात्मिक शक्ति का वर्णन मिलता है। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मंत्र मानव जीवनों और उच्च दिशा प्रदान करते हैं,



हमारे चैतन्य को जागृत करते हैं और शुभ संकल्पों को सुदृढ़ बनाते हैं। जब लोग श्रद्धापूर्वक एक ही मंत्र का सामूहिक जाप करते हैं, तो उससे न केवल व्यक्ति, बल्कि समूचे देश और विश्व का भी कल्याण होता है। श्री शाह ने कहा कि भारतीय सिद्धों ने पीढ़ियों तक अथक साधना कर समस्त मानवता के कल्याण के लिए इन मंत्रों को रचना की है। सभी को श्रद्धापूर्वक स्वीकार इन्हें कर उनका अनुकरण भी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नवकार मंत्र पूर्णतः निराकार, निरपेक्ष और सार्वभौमिक प्रार्थना है, जिसमें काल, जाति, क्षेत्र या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है। विश्व में इस प्रकार की समावेशी और सर्वमान्य प्रार्थना मिलना अत्यंत दुर्लभ है।

उन्होंने कहा कि यह प्रार्थना उन महान आत्माओं के गुणों की वंदना है, जिन्होंने अपने कर्मों पर विजय प्राप्त कर आत्मज्ञान और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया। इस महामंत्र में नमो शब्द का अर्थ पूर्ण समर्पण है, जो साधक को अपने भीतर के अहंकार का परित्याग कर आत्मशुद्धि की दिशा में अग्रसर करता है। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जब व्यक्ति नमन करता है, तभी से उसके अहंकार के पिघलने की शुरुआत हो जाती है। उन्होंने कहा कि अरिहंत वह होता है जो अरि अर्थात् आंतरिक शत्रुओं का हंत करता है। ये शत्रु शरीर, मन, भाव, स्वभाव और प्रकृति में निहित वे विकार हैं, जो मोक्ष की प्राप्ति में बाधक बनते हैं। जो साधक इन आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही अरिहंत कहलाता है। उन्होंने कहा कि नवकार मंत्र की परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है, जिसमें 24 तीर्थंकरों और उनके अनुयायियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रारंभ में यह मंत्र मौखिक रूप से पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ता रहा।

## आईडीएफसी फर्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) (CIN-L65110TN2014PLC097792) रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएफ टॉवर, 8वां तल, हेरिटाज रोड, चेपेट, चेन्नई-600031 फोन : +91445644000, फैक्स: +91445644002

## आईडीएफसी फर्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) (CIN-L65110TN2014PLC097792) रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएफ टॉवर, 8वां तल, हेरिटाज रोड, चेपेट, चेन्नई-600031 फोन : +91445644000, फैक्स: +91445644002

## वित्तीय आदिष्टियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं। नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संघियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं। चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आईडीएफसी फर्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में बर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित वित्तीयों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा।

स. क्र.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	154748080	संपत्ति के बदले ऋण	11.03.2026	8,55,165.76/-

उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं का नाम: 1. धारा सिंह राठौड़ 2. रेखा चाई राठौड़  
संपत्ति का पता: प्लॉट/मकान संख्या 132 का वह पुर हीस्टा, जिसका कुल क्षेत्रफल 228.62 वर्ग मीटर (246.00 वर्ग फुट) है, जो खसरा संख्या 244 पर स्थित है, ग्राम: सिंघानी, पीपल नं. 21, (बाई नंबर 15), ग्राम पंचायत: किनेपुर, तहसील और जिला: देवास, मध्य प्रदेश-455001 में स्थित है, और जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व: सामान्य सड़क, पश्चिम: प्रकाश भाई का घर, उत्तर: सामान्य सड़क, दक्षिण: चौक।

स. क्र.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
2	104795403	संपत्ति के बदले ऋण	21.01.2026	4,98,688.22/-

उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं का नाम: 1. कमल सिंह मेवाड़ा 2. प्रेम चाई मेवाड़ा  
संपत्ति का पता: कोठाड़ी गांव, बाई संख्या 05 (खसरा संख्या 1369/1 और 1825, पीपल नं. 69), कालापीपल, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश-465337 में स्थित अचल संपत्ति का वह भाग, आवासीय मकान संख्या 90, जिसका क्षेत्रफल 1026 वर्ग फुट है, और जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व में लखन सिंह का मकान, पश्चिम में रास्ता, उत्तर में राम सिंह का मकान, दक्षिण में मनोहर सिंह का मकान।

स. क्र.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
3	127987144	होम लोन	30.03.2026	2,25,566.95/-

उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं का नाम: 1. कन्हैयालाल मदनलालभाभी 2. सीता बाई 3. शशानंद कन्हैयालालभाभी  
संपत्ति का पता: मकान संख्या 105, कुल क्षेत्रफल 241.54 वर्ग मीटर या 2600 वर्ग फुट, जो आबादी खसरा संख्या 901, पीपल नं. 03, ग्राम: तुदरगढ़, बाई संख्या 06, तहसील और जिला: नीमच, मध्य प्रदेश-458441 में स्थित है, और जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व में बंशीलाल जी का घर, पश्चिम में श्यामलाल जी का घर, उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में स्वयं की भूमि।

स. क्र.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
4	93989517	होम लोन	11.03.2026	4,09,980.49/-

ऋणकर्ताओं और सह-ऋणकर्ताओं के नाम: 1. राधापुरी जमानपुरी 2. शारदा चाई राधापुरी  
संपत्ति का पता: खसरा संख्या 546, पीपल नं. 117, ग्राम: महुदी, ग्राम पंचायत: महिदपुर, जिला: उज्जैन, मध्य प्रदेश-456443 में स्थित 1200 वर्ग फुट क्षेत्रफल का वह प्लॉट/मकान, जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व: सुरेश-देवी सिंह की निजी भूमि, पश्चिम: मनपुरी-मोहनपुरी का मकान, उत्तर: धनी निकासी नाली-सड़क, दक्षिण: धामपुरी की निजी भूमि।

स. क्र.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
5	134527177	होम लोन	28.03.2026	7,69,315.66/-

ऋणकर्ताओं और सह-ऋणकर्ताओं के नाम: 1. राजेन्द्र सिंह 2. नारायण कुंवर राठौड़  
संपत्ति का पता: सर्वे संख्या 128, बाई संख्या: अनुपलम्बा, पीपल नं. 43, दिशानिर्देशांशु ग्राम: गेरपुरचुगुनी, ग्राम पंचायत: कोल्छेडी, निकटवर्ती कलावाली, तहसील/तालुका और जिला: रतलाम, मध्य प्रदेश-457114 में स्थित मकान संख्या 23, कुल क्षेत्रफल 189 वर्ग मीटर, जो पूरी संपत्ति, जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व: श्री देव सिंह जी के पुत्र कालू सिंह की संपत्ति, पश्चिम: गेली, दक्षिण: सेवा खातिर, उत्तर: सड़क।

स. क्र.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
6	23466618	संपत्ति के बदले ऋण	21.02.2026	1,15,538.22/-

ऋणकर्ताओं और सह-ऋणकर्ताओं के नाम: 1. राजेंद्र सिंह राजपूत 2. धनकुंवर चाई राजपूत  
संपत्ति का पता: मध्य प्रदेश-465227, शाजापुर जिले के गुलान तहसील के खसरा नंबर 516, खसरा नंबर 06, बाई नंबर 3 में स्थित आवासीय मकान संख्या 14/1, क्षेत्रफल 750 वर्ग फुट, जो पूरी संपत्ति जिसकी हेतु बिजली के लिए उपकरण हैं। इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व में सड़क, पश्चिम में संतोष पुत्र मान सिंह का मकान, उत्तर में महेश पुत्र गजराज का मकान और दक्षिण में जीवन्त सिंह का मकान।

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार आईडीएफसी फर्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को संबंधित वित्तीयों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकार का वित्ति से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे बंदाखतकर्ता को आईडीएफसी फर्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए उभर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विवेक पर आधारेण/अपेक्षाओं के अभाव में अनियमित रूप में धारा 14 के अंतर्गत कर्तव्यहीन अर्थ करने के लिए बाध्य होगा नष्ट। आईडीएफसी फर्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)। इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिजली / गैस अथवा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है।

एसडी - प्राधिकृत अधिकारी  
दिनांक: 10.04.2026  
स्थान: मध्यप्रदेश

आईडीएफसी फर्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

## सीआरपीएफ शौर्य दिवस पर वीर जवानों को किया नमन

नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) शौर्य दिवस के अवसर पर बल के वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सीआरपीएफ वीरता दिवस पर हमारे वीर जवानों के अदम्य साहस और बलिदान को नमन। वर्ष 1965 में आज ही के दिन सीआरपीएफ के वीर जवानों ने कच्छ का रण के सरदार पराजित कर दुश्मनों को धस्त करके हनु बहादुरी का स्वागमन अध्याय रचा। राष्ट्र की सुरक्षा और समर के लिए आपने प्राणों का बलिदान देने वाले शहीदों का श्रेष्ठ श्रद्धांजलि. सीआरपीएफ शौर्य दिवस हर वर्ष 9 अप्रैल को मनाया जाता है जो 1965 में कच्छ के रण में सरदार पोस्ट पर सीआरपीएफ की एक छेटी टुकड़ी द्वारा पाकिस्तानी ब्रिगेड के हमले को विफल करने और अभूतपूर्व वीरता के सम्मान में मनाया जाता है। इस ऐतिहासिक युद्ध में सीआरपीएफ के 6 जवान शहीद हुए थे।

## आज का इतिहास

- 1847- पुलित्जर पुरस्कारों के प्रणेता जोसेफ पुलित्जर का जन्म.
- 1875- स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्यसमाज की स्थापना की.
- 1889- राम चंद्र चटर्जी गर्म गुब्बारे में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय बने.
- 1894- भारतीय उद्योगपति धनश्यामदास बिड़ला का जन्म.
- 1912- प्रसिद्ध जहाज टाइटैनिक अपनी पहली और आखिरी यात्रा पर ब्रिटेन के साउथैम्पटन बंदरगाह से रवाना हुआ.
- 1916- पहले गोल्फ टूर्नामेंट का प्रोफेशनल तरीके से आयोजन किया गया।
- 1917- महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह के लिए बिहार के चंपारण पहुंचे।
- 1930- पहली बार सिनेटिक रबर का उत्पादन हुआ।

## आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यालय: युनिट नं. 802, नटराज रूस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400069.  
उज्जैन शाखा: 06 / प्रथम नंबर, कमला नहर मार्ग, फ्रीमंग, आईडीबीआई बैंक के ऊपर, शहीदो पार्क के पास, उज्जैन 456010 (म.प्र.)  
इंदौर विजय नगर शाखा: ऑफिस नं. 111 एवं 112, प्रीम मंजिल, बंवांमार्क बिजनेस पार्क, प्लॉट नं. अ-3, आईडीए- स्क्रीम नं. 54, पी.यू. 04, सत्य साई स्वचालय के पास, विजय नगर, इंदौर-452010 (मध्य प्रदेश)

प्राधिकृत अधिकारी : दीपक मालवीय, मोबाइल नंबर 7583898990

## निजी संधि के माध्यम से सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावनों के तहत संपत्ति की बिक्री के हेतु सूचना

चूंकि आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL) के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आदिष्टियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत सुरक्षित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। और चूंकि प्राधिकृत अधिकारी ने पहले ई-नीलामी नोटिस जारी किए थे लेकिन कोई सफल बोलीकर्ता को आकर्षित नहीं कर सका, और अब उसने नीचे दी गई सुरक्षित संपत्ति को निजी समझौते के माध्यम से विक्रय करने का फैसला किया है। प्राधिकृत अधिकारी को इस संबंध में कुछ इच्छुक व्यक्तियों से सुरक्षित संपत्ति की खरीद के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्राधिकृत अधिकारी एटद्द्वारा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 एवं 9 के संदर्भ में उपरोक्त संपत्ति की निजी समझौते के माध्यम से बिक्री के लिए अमान्यता प्राप्त उधारकर्ताओं को यह नोटिस दे रहा है। खाली का विवरण इस प्रकार है:

क्रं.	लोन कोड नं. / शाखा	ऋणी/सह-ऋणी का नाम	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	आरक्षित मूल्य (RP)	कुल बकाया ऋण राशि दिनांक 25.03.2026 को	सुरक्षित संपत्ति का विवरण
1.	लोन नं. 02010000686 / उज्जैन (शाखा)	अशोक रामचन्द्र (ऋणी) सुमित्रा अशोक शर्मा (सह-ऋणी)	12-05-2025 ₹ 7,71,979/-	₹ 4,25,000/-	₹ 9,43,715/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, पटवारी हल्का नंबर 74 जीएफ मकान नंबर 226/1 घोसल रोड ग्राम मीमाखेड़ा तहसील महिदपुर जिला उज्जैन मध्य प्रदेश 456443 चर्तुसीमार्ग- पूर्व - बदीलाल पतिता रामचन्द्र का मकान, पश्चिम - कन्हैयालाल पतिता पुना जी का मकान, उत्तर - सड़क, दक्षिण - कमला बाई का मकान
2.	लोन नं. 35310000683 / इंदौर विजय नगर शाखा)	विजय (ऋणी) सोनु एवं अजय (सह-ऋणी)	12-05-2025 ₹ 13,00,242/-	₹ 8,50,000/-	₹ 15,13,842/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, ग्राउंड फ्लोर ग्राम कालीबिबोद बगुदर रोड के पास निजी प्लॉट नंबर 10 कालीबिबोद तहसील देवापुर इंदौर मध्य प्रदेश 453001 चर्तुसीमार्ग- पूर्व - प्लॉट नंबर 44, पश्चिम - रोड, उत्तर - प्लॉट नंबर 9, दक्षिण - प्लॉट नंबर 11

यह सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत 15 दिन का बिक्री नोटिस को उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता एवं जमानतदार को दिया जाता है कि उपरोक्त वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित लेनदार के पास निवृत्त/प्रभारित है और जिसका मौलिक कब्जा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उसे 'जैसा है जहाँ है', 'जैसी है वैसे ही', और 'जो भी है' के आधार पर निजी समझौते के माध्यम से बेचा जाएगा, ताकि आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को देय राशि की वसूली की जा सके। यदि उधारकर्ता(ओं), सह-उधारकर्ता(ओं) को पास कोई ऐसा खरीदार है जो दी गई अर्थात् संपत्ति से अधिक कीमत पर सुरक्षित संपत्ति खरीदने के लिए तैयार है, तो उधारकर्ता(ओं), सह-उधारकर्ता(ओं) को 30-04-2026 से एक दिन पहले AHFL को सूचित करना होगा, जिसके बाद AHFL उस खरीदार को वरीयता देगा। यदि उधारकर्ता(ओं), सह-उधारकर्ता(ओं) 30-04-2026 से एक दिन पहले सूचित करने में विफल रहते हैं, तो AHFL उभर दिए गए आरक्षित मूल्य पर संपत्ति की बिक्री के लिए आगे बढ़ेगा। यह संपत्ति AHFL को ज्ञात या अज्ञात, सभी मौजूदा और भविष्य के भागों के साथ बेची जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकाए के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। क्रेता को अपनी सन्तुष्टि के लिए संपत्ति (निजी समझौते के माध्यम से बिक्री के तहत) से संबंधित सभी पहलुओं पर उचित जांच पड़ताल करनी चाहिए। क्रेता बाद की तारीख में इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार के खिलाफ कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा।

नीलामी की तारीख 30-04-2026 तक की गई है।  
स्थान: मध्यप्रदेश, दिनांक: 10-04-2026

## आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यालय: युनिट नं. 802, नटराज रूस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400069.  
उज्जैन शाखा: 06 / प्रथम नंबर, कमला नहर मार्ग, फ्रीमंग, आईडीबीआई बैंक के ऊपर, शहीदो पार्क के पास, उज्जैन 456010 (म.प्र.)  
इंदौर विजय नगर शाखा: ऑफिस नं. 111 एवं 112, प्रीम मंजिल, बंवांमार्क बिजनेस पार्क, प्लॉट नं. अ-3, आईडीए- स्क्रीम नं. 54, पी.यू. 04, सत्य साई स्वचालय के पास, विजय नगर, इंदौर-452010 (मध्य प्रदेश)

प्राधिकृत अधिकारी : दीपक मालवीय, मोबाइल नंबर 7583898990

## निजी संधि के माध्यम से सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावनों के तहत संपत्ति की बिक्री के हेतु सूचना

चूंकि आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL) के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आदिष्टियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत सुरक्षित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। और चूंकि प्राधिकृत अधिकारी ने पहले ई-नीलामी नोटिस जारी किए थे लेकिन कोई सफल बोलीकर्ता को आकर्षित नहीं कर सका, और अब उसने नीचे दी गई सुरक्षित संपत्ति को निजी समझौते के माध्यम से विक्रय करने का फैसला किया है। प्राधिकृत अधिकारी को इस संबंध में कुछ इच्छुक व्यक्तियों से सुरक्षित संपत्ति की खरीद के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्राधिकृत अधिकारी एटद्द्वारा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 एवं 9 के संदर्भ में उपरोक्त संपत्ति की निजी समझौते के माध्यम से बिक्री के लिए अमान्यता प्राप्त उधारकर्ताओं को यह नोटिस दे रहा है। खाली का विवरण इस प्रकार है:

क्रं.	लोन कोड नं. / शाखा	ऋणी/सह-ऋणी का नाम	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	आरक्षित मूल्य (RP)	कुल बकाया ऋण राशि दिनांक 25.03.2026 को	सुरक्षित संपत्ति का विवरण
1.	लोन नं. 02010000686 / उज्जैन (शाखा)	अशोक रामचन्द्र (ऋणी) सुमित्रा अशोक शर्मा (सह-ऋणी)	12-05-2025 ₹ 7,71,979/-	₹ 4,25,000/-	₹ 9,43,715/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, पटवारी हल्का नंबर 74 जीएफ मकान नंबर 226/1 घोसल रोड ग्राम मीमाखेड़ा तहसील महिदपुर जिला उज्जैन मध्य प्रदेश 456443 चर्तुसीमार्ग- पूर्व - बदीलाल पतिता रामचन्द्र का मकान, पश्चिम - कन्हैयालाल पतिता पुना जी का मकान, उत्तर - सड़क, दक्षिण - कमला बाई का मकान
2.	लोन नं. 35310000683 / इंदौर विजय नगर शाखा)	विजय (ऋणी) सोनु एवं अजय (सह-ऋणी)	12-05-2025 ₹ 13,00,242/-	₹ 8,50,000/-	₹ 15,13,842/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, ग्राउंड फ्लोर ग्राम कालीबिबोद बगुदर रोड के पास निजी प्लॉट नंबर 10 कालीबिबोद तहसील देवापुर इंदौर मध्य प्रदेश 453001 चर्तुसीमार्ग- पूर्व - प्लॉट नंबर 44, पश्चिम - रोड, उत्तर - प्लॉट नंबर 9, दक्षिण - प्लॉट नंबर 11

यह सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत 15 दिन का बिक्री नोटिस को उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता एवं जमानतदार को दिया जाता है कि उपरोक्त वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित लेनदार के पास निवृत्त/प्रभारित है और जिसका मौलिक कब्जा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उसे 'जैसा है जहाँ है', 'जैसी है वैसे ही', और 'जो भी है' के आधार पर निजी समझौते के माध्यम से बेचा जाएगा, ताकि आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को देय राशि की वसूली की जा सके। यदि उधारकर्ता(ओं), सह-उ